



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222198
CG-DL-E-01102020-222198

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3083]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942

No. 3083]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3463(अ).—अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (2020 का 30) की धारा 01 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा 01 अक्टूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 7/2/2018-एफएसआरएल-भाग (1)]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2020

S.O. 3463(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (30 of 2020), the Central Government hereby appoints 1st day of October, 2020 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 7/2/2018-FSRL- Part (1)]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)